Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069 General Impact Factor : 2.4668, Volume 04, No. 03, July-September, 2018, pp. 127-133

ग्रामीण विकास में सहभागिता के बढ़ते कदम (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

पूनम कँवर खँगारोत*

राजस्थान मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य रहा है तथा आज भी कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में रीड की हड्डी के समान है। कृषि एवं कृषि की सहायक क्रियाओं जैसे पशुपालन, बागवानी, मुर्गी पालन आदि से यहां की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपनी आजीविका का निर्वाह करती है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग जैसे खादी ग्रामोद्योग, लोहार गिरी, बर्तन बनाना, लकड़ी का कार्य, टोकरी बनाना, बुनाई का कार्य आदि सभी उद्योगों से काफी लोगों को काम मिला हुआ है। यह उद्योग राज्य में एक ओर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाते हैं तो दूसरी तरफ राज्य की आय में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यद्यपि इस राज्य की अधिकांश जनसंख्या का भरण पोषण कृषि के द्वारा ही किया जाता था लेकिन राजस्थान में कृषि की स्थिति अत्यंत चिंताजनक एवं सोचनीय थी। एक ओर तो यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो दूसरी ओर जमींदारों व साहूकारों द्वारा कृषकों पर जुल्म किए जा रहे थे। कृषकों को कृषि भूमि पर मालिकाना हक नहीं था। अधिकांश कृषि भूमि जमीदारों एवं साहूकारों के अधिकार क्षेत्र में थी। सफलता कृषि उत्पादन का अधिकांश भाग जागीरदारों एवं साहूकारों द्वारा रख लिया जाता था। इस तरह से किसानों द्वारा अपने खून पसीने से तैयार की गई फसल का अधिकांश भाग बिगोड़ी, लगान, कर एवं अन्य वसूलीयों के रूप में जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता था। किसानों के पास जो अनाज शेष बचता उससे उनके परिवार का भरण–पोषण करना मुश्किल हो जाता था। दूसरी ओर लगभग 95 प्रतिशत से अधिक कृषि योग्य भूमि सिंचित एवं उबड़–खाबड़ होने से कृषि वर्ग पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर रहता था। ईश्वर की दया से समय पर मानसून की बरसात हो जाती तब तो किसान 12 महीने खाने योग्य अनाज पैदा कर लेता था। यदि मानसून समय पर नहीं आता तो किसानों को अकाल एवं सूखे जैसी भयंकर समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस राज्य के बारे में विडंबना यह रही है कि यहां 5 वर्षो में से मात्र 1 वर्षीय सा आता है जो किसान को खुश रखता है। अन्य वर्षों में नियमित अकाल एवं सूखे की स्थिति बनी रहती है। इन समस्याओं के अलावा राजस्थान में किसानों के सामने एक और महत्वपूर्ण समस्या कृषि साख सुविधाओं की थी। कहने को तो हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ई में भरतपुर एवं डीग में कृषि बैंकों की स्थापना से माना जाता है। 1904 में ही अजमेर में सहकारिता का श्रीगणेश

* रिसर्च स्कॉलर, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

हुआ। राज्य में प्रथम सहकारी समिति 1950 में भिनाय में स्थापित की गई। स्वतंत्रता से पूर्व सहकारिता के विकास का काल 1910 से 1918 तक माना जाता है। 1918 में यहां 362 सहकारी समितियां थी। देशी रियासतों मैं सर्वप्रथम भरतपुर एवं कोटा में सहकारी कानून बने परंतु राजस्थान में सहकारिता का योजनाबद्ध विकास स्वतत्रंता के पश्चात योजना काल में ही संभव हो सका।

राजस्थान में सहकारी संगठन का स्वरूप

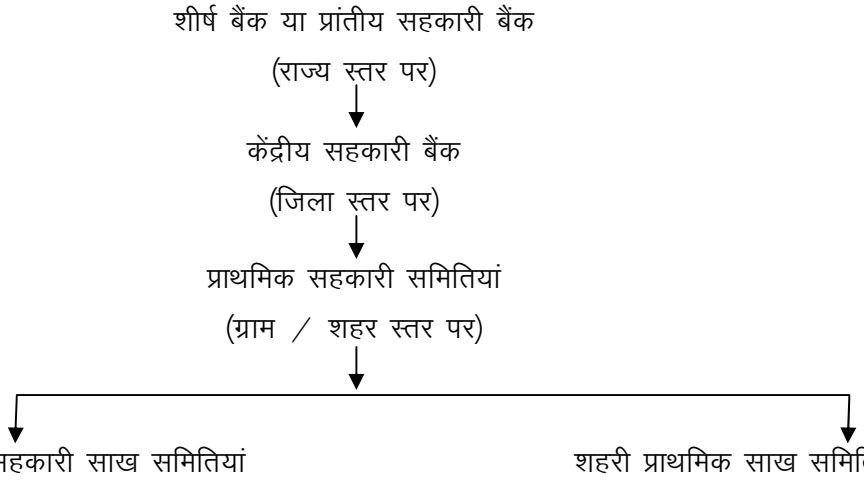

सहकारिता की वर्तमान स्थिति

शीर्ष संस्थाएं	20
प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति	6,779
केंद्रीय सहकारी बैंक	29
महिला सहकारी समितियां	2,462
प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक	36
गृह निर्माण सहकारी समिति	1,344
नागरिक सहकारी बैंक	36
प्राथमिक कृषि ऋणदाई सहकारी समितियां	5,380
होलसेल उपभोक्ता भंडार	34
जिला दुग्ध उत्पादक संघ	21
क्रय विक्रय सहकारी समितियां	208
सहकारी समितियां	29,229
कार्यशील पूंजी	19,687 करोड़ रुपए
कुल सदस्य संख्या	92.36 लाख
दीर्घकालीन ऋण वितरण (वर्ष 2018)	198.84 करोड़ रुपए
हिस्सा राशि	139.82 करोड़ रुपए
अल्पकालीन ऋण वितरण (वर्ष 2018)	4853.72 करोड़ों रुपए

(स्त्रोत आर्थिक समीक्षा, 2017–2018)

राज्य में स्वतंत्रता के पश्चात योजना काल में सहकारिता का तेजी से विकास हुआ। वर्ष 1995 में प्रथम बार राजस्थान सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया जो समय–समय पर अधिक व्यवहारिक, कारगर एवं सरल बनाने के उद्देश्य से संशोधित हुआ। इसी क्रम में आगे चलकर 21 दिसंबर, 1957 को राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना की गई। राज्य में 2 अक्टूबर, 1965 से नया सहकारी अधिनियम लागू किया गया तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपकर राज्य सरकार ने अपने आदर्श इरादे स्पष्ट कर दिए थे। वर्ष 2017–18 में विभिन्न प्रकार की लगभग 29,229 सहकारी समितियां कार्यरत थी जो बढ़कर वर्ष 2018–19 में लगभग 31,000 होने का अनुमान है अर्थात यह कह सकते हैं कि राजस्थान के लगभग 99ः गांव व 93 प्रतिशत किसान सहकारी आंदोलन से जुड़ चुके हैं। प्रदेश मैं अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण वितरण का कार्य 29 केंद्रीय सहकारी बैंक अपनी 377 शाखाओं के माध्यम से एवं 5,251 प्राथमिक कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियों के माध्यम से कर रही हैं। वर्ष 2017–18 में फरवरी 2018 तक फसली कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध 830.90 करोड रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं, जबकि वर्ष 2015–16, 17–18 मैं क्रमशः 640 करोड व 818 करोड रुपए के फसली ऋण वितरित किए गए थे तथा वर्ष 2018 19 में 1100 करोड़ रुपए के फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। राज्य के सभी 26 केंद्रीय सहकारी बैंकों की 31 मार्च, 2017 को हिस्सा राशि 113.19 करोड़ रुपए, जमाएं 953.50 करोड़ों रुपए, निधि कोष 235.04 करोड़ रुपए एवं कार्यशील पूंजी 1663.44 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 31 मार्च 2000 18 को क्रमशः हिस्सा राशि 131.57 करोड रुपए जमाएं 1162.22 करोड़ रुपए निधि कोष 267.29 करोड रुपए एवं कार्यशील पूंजी 19,687 करोड रुपए है जो सहकारिता आंदोलन के उज्जवल भविष्य की परिचायक है।

प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित कराए जाने के लिए, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक एवं 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है। इनमें से राजसमंद, दौसा और जैसलमेर में तीन नए सहकारी भूमि विकास बैंकों का गठन किया गया है। इन बैंकों के माध्यम से किसानों को 5 से 15 वर्ष की अवधि के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए जा रहे हैं, जिसके लिए राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा विशेष व साधारण ऋण पत्रों का निर्गमन कर धन राशि जुटाई जाती है। यह ऋण कृषि यंत्रीकरण, लघु सिंचाई कार्य एवं डेयरी विकास, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, हज निर्माण एवं फल वृक्षारोपण कार्य के लिए सीधे किसानों को सुलभ कराए जा रहे हैं। वर्ष 2016–17 में 19032.67 लाख रूपय का ऋण प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा बांटा गया। वर्ष 2017–18 में 24,200 लाख रूपये लक्ष्य के विरुद्ध 24,132.64 लाख रुपए का ऋण वितरण किया जा कर 99.72 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई है। वर्ष 2016–2017 में दीर्घकालीन ऋण वितरण हेतु 25,000 लाख लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2018 के अंत तक 18,677 लाख रुपए का रण वितरित हुआ था जो सहकारी आंदोलन की प्रगति का सूचक है।

वर्तमान में प्रदेश के समस्त गांव सहकारिता रूपी छतरी के नीचे आ चुके हैं तथा लगभग 93 प्रतिशत किसान सहकारिता से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। प्रदेश में सहकारी आंदोलन को तीव्र गति से विकसित करने एवं सहकारी साख संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से चालू दशक में कतिपय नवीन योजनाएं प्रारंभ की गई है। इन योजनाओं का प्रमुख ध्येय सहकारी आंदोलन को सुंदरता प्रदान करना, सदस्यों को आसान किस्तों पर ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना है ताकि राज्य में सहकारी आंदोलन को गति प्रदान की जा सके।

- **सहकारी किसान कार्ड** – कृषक लोगों के लिए सम्मान सूचक समझे जाने वाले क्रेडिट कार्ड की सुविधा राजस्थान में सहकारी समितियों के ऋणी सदस्यों को उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय स्तर पर पहल की गई है। ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों को सहकार किसान कार्ड की सुविधा दी जाती है 29 जनवरी, 1999 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रारंभ की गई सहकारी किसान कार्ड सुविधा के लागू होने से अब किसान स्वीकृत साख सीमा तक बैंक में कार्ड दिखाकर वह चौक प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। कार्ड दिखाकर वह चेक प्रस्तुत कर खाद–बीज, डीजल आदि जरूरत की चीजें प्राप्त कर सकते हैं। समिति में खाद बीज के नहीं होने पर समिति से प्राप्त कूपन के आधार पर क्रय विक्रय या निकट की ग्राम सेवा सहकारी समिति से कृषि आदान प्रदान कर सकते हैं। ऋण चुकाने पर स्वत नवीनीकृत की सुविधा लेने से अब किसानों को अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। सहकारी ऋण वितरण की यह सबसे सरल व्यवस्था है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक लगभग 10,00,000 सदस्यों को किसान कार्ड उपलब्ध करवा कर 900 करोड रुपए से अधिक के पसली सहकारी ऋण प्रदान किए जा चुके हैं।

- **कृषक मित्र सहकारी योजना** – फसली सहकारी ऋण वितरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अगस्त, 1997 से कृषक मित्र सहकारी ऋण वितरण की नई योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को फसली कार्यों के लिए जरुरत के अनुसार वर्ष पर्यंत ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। न्यूनतम 4 एकड़ काश्तकारी वाली सिंचित भूमि वाले किसानों को निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत अब अधिकतम रूपये 100000 तक के कर्ज उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे राज्य में व्यवसायिक फसलों के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ ही छोटे बड़े सभी किसानों को सहकारी ऋण वितरण के दायरे में लाया जा रहा है ताकि राज्य में कृषि पैदावार में बढ़ोतरी हो सके तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी कर उन्हें आर्थिक विकास की धारा से जोड़ा जा सके। वर्ष 2017 18 में 16.18 करोड़ रुपए का ऋण वितरण इस योजना के अंतर्गत किया गया है।

- **कृषक ज्योति सहकारी ऋण वितरण योजना** – यह योजना वर्ष 2016 17 में सहकारिता विभाग द्वारा लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रयास किए गए हैं कि अल्पकालीन ऋण को छोड़कर कृषकों की सभी तरह की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक ही जगह से की जा सकती है। योजना अंतर्गत ऐसे कृषक जिनके पास न्यूनतम 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। इस योजना के तहत किसानों की कृषि योग्य भूमि को अधिकतम 10 वर्षों के लिए सहकारी बैंकों के नाम रखने पर अधिकतम रूपये 500000 तक के ऋण निर्धारित सीमा के अंतर्गत प्रदान किए जा सकते हैं। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार ऋण प्राप्त कर सकता है। योजना अंतर्गत प्राप्त धन का उपयोग किसान अपनी आवश्यकता अनुसार करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

- **ग्रामीणोन्मुखी नई सहकारी ऋण सुविधाएं** – फसली कार्य एवं रोजगार साधनों के विकास की दृष्टि से यह ऋण योजना प्रारंभ की गई है। गांव का पैसा गांव के खेत का पानी खेत में पर आधारित गांव की प्राथमिक सहकारी समिति को मिनी बैंक के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें जमा राशि के आधार पर रूपये 50000 तक के कर्जे ग्रामीण उद्योग धंधों की स्थापना

के लिए दिए जा सकते हैं। इसके अलावा घरेलू जरूरतों की पूर्ति के साथ ही फसली कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध हो सकेंगे। इस योजना से गांवों में बचत की भावना भी बढ़ेगी। प्रारंभ में यह योजना क्रेफीकार्ड योजना के तहत चयनित समितियों में ही लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अक्षम वह कमजोर सहकारी समितियों को बिना ब्याज रूपये 10000 का मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराने के तहत राज्य सरकार द्वारा 7 समितियों को रूपये 70000 स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार बैंक ऋण मांग एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों के ऋण मांग में असंतुलन की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा चार करोड़ रुपए 20 केंद्रीय सहकारी बैंकों को स्वीकृत किए गए हैं तथा 6 बैंकों के 200 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसके तहत विषम असंतुलन की राशि का 60 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंकों और 10 प्रतिशत शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा वहन किया जाता है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ऋणी सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर फसली सहकारी ऋणों पर देय 15 प्रतिशत हिस्सा राशि में से 2.5 प्रतिशत कम कर अब 12.5 प्रतिशत की गई है। इससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों के करीब 50 लाख सदस्य लाभान्वित होंगे। वहीं करीब 15 लाख किसान सीधे लाभान्वित हो सकेंगे। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गांव में उद्योग व व्यापार के लिए भी ऋण सरलता से सुलभ कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही ब्याज दरों में कमी करके किसानों को राहत दी जा रही है।

- **सहकारी कृषक सुरक्षा योजना** – यह योजना केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले सदस्यों के लिए लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि कार्य करते या मंडी में कृषि विपणन कार्य करते समय घटित दुर्घटना में मृत्यु अथवा अंगहीन होने पर किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। किसी भी ऋणी सदस्य की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को रुपए एक लाख की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। ऋणी सदस्य की दुर्घटना वंश मृत्यु होने पर रूपये 1 लाख तक की ऋण राशि को काटकर शेष राशि मृतक के वारिसों को दी जा सकेगी।

- **साख संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के उपाय** – राज्य के सभी 26 केंद्रीय सहकारी बैंकों के सुदृ ढ़ीकरण और संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से कार्य योजना डीएपी तैयार की गई है। वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर नाबार्ड, शीर्ष सहकारी बैंक एवं सभी 26 केंद्रीय सहकारी बैंकों के मध्य त्रिपक्षीय सहमति पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विभिन्न बिंदुओं की सफल क्रियान्विति के फलस्वरुप अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ऋण व्यवसाय बड़ा है। अनावश्यक व्यय कम किए गए हैं और जमाओं में वृद्धि के साथ ही अच्छी वसूली से बैंकों की लाभदायकता बढ़ी है।

- **महिला विकास ऋण योजना** – इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अकृषि कार्यों हेतु रूपये 25000 तक का ऋण 3 प्रतिशत हिस्सा राशि पर दिया जाता है। भूमि विकास बैंक के द्वारा अभी तक केवल उन्हीं सदस्यों को ऋण दिए जाते थे, जिनके पास सिक्योरिटी के रुप में कृषि या आवासीय भवन भूखंड का स्वामित्व हो। इससे उन महिलाओं को ऋण उपलब्ध नहीं हो पाते थे, जिनके नाम से अचल संपत्ति नहीं हो। अतः इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को भी रूपये 25000 तक के अकृषि ऋणों की सुविधा प्राप्त हो सकती है जिनके

नाम से अचल संपत्ति नहीं है। इससे महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अनु उत्पादक ऋण मिल सकेंगे, जिससे उनके आय के स्रोत बनेंगे एवं उनका जीवन स्तर उन्नत होगा।

- **मार्जिन मनी सुलभ ऋण सहायता योजना –** किसी भी उद्यम को स्थापित करने में सबसे बड़ी समस्या मार्जिन मनी की व्यवस्था होती है। हतोत्साहि शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को प्रोत्साहित करने के क्रम में मार्जिन मनी सुलभ ऋण सहायता योजना प्रारंभ की गई है ताकि बेरोजगार ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।
- **नगद ऋण वितरण योजना** – इस योजना के अंतर्गत किसानों को सीधे नगद ऋण वितरण सुविधा उपलब्ध कराकर उपकरण खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह योजना प्रारंभ में प्रायोगिक तौर पर 5 सहकारी भूमि विकास बैंकों में नगद ऋण सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इससे कृषक अपना मनोवांछित कृषि उपकरण प्राप्त कर बिचौलियों के शोषण से बच सकेंगे।
- **किसान समृद्धि योजना –** राज्य के किसानों को अनावश्यक शोषण से बचाने, उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने तथा कृषि उत्पाद की बढ़ोतरी में सहायक रसायन, खाद, बीज उपलब्ध करवाने, भूमि सुधार हेतु जिप्सम की आपूर्ति करने, अच्छी गुणवत्ता वाला पशु आहार उपलब्ध करवाने आदि के उद्देश्यों से किसान भाइयों को राजफैड के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए यह योजना बनाई गई थी। 2 फरवरी 2018 को इसका ड्रा निकाला जा कर 4.5 लाख रूपय के इनाम विजेताओं को वितरित किए गए। इस योजना में जो किसान राज्य दिया इसकी सहकारी संस्था से हजार रुपए तक का खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां वह पशु आहार खरीदेगा उसको हजार रुपए तक का इनामी कूपन दिया जाएगा। राजफैड के खरीद केंद्र पर 10000 तक का कृषि उपज की बिक्री पर भी किसानों को इनामी योजना का कूपन दिया जा रहा है। योजना अंतर्गत ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, घड़ी आधी लाखों रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे।
- **फल सब्जी बूथ योजना** – बिचौलियों के दौरे शोषण से किसानों और उपभोक्ताओं को बचाने के उद्देश्य से प्रयोग के रूप में जयपुर में सहकारी फल–सब्जी भूत योजना लागू की गई है। जयपुर सहकारी फल सब्जी क्रय विक्रय संघ द्वारा जयपुर के आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में फल सब्जी संग्रन्द्र स्थापित कर किसानों से निकटस्थ स्थान से मंडी दर पर खरीद की व्यवस्था के लक्ष्य के साथ ही जयपुर शहर में नवबोध स्थापित कर उचित मूल्य पर सब्जी की बिक्री की व्यवस्था की गई है। इस योजना को अप्रैल 98 से प्रारंभ किया गया। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2016 में 21 पॉइंट 4.4 लाख रूपय का व्यवसाय हुआ था तथा वर्ष 2017–18 में 31.25 लाख का व्यवसाय हुआ है।

पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता का विकास

प्रथम योजना में इनकी संख्या 2,928 थी। जो योजना के अंत तक 8077 हो गई। छठी योजना में 70,000 नए सदस्य बने समितियों की संख्या 18,440 तथा सदस्यों की संख्या 57 लाख तक पहुंची। सातवीं योजना में 3.46 करोड़ रुपए साख संस्थाओं पर, 35.87 करोड़ रुपए विपणन गोदामों पर, 18.04 करोड़ रुपए माल की देखरेख पर, 15.3 करोड़ रुपए उपभोक्ता भंडारों की स्थिति सुधारने पर, 287 लाख रुपए सहकारी शिक्षा व 62.8 लाख रुपए अन्य कार्यों पर व्यय किए जा चुके हैं। आठवीं योजना में

संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु पर योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर 21.4 प्रतिशत अथार्थ 2,461 करोड़ों रुपए व्यय किए गए हैं। नवीं योजना में कुल व्यय की जाने वाली राशि का 25.4 प्रतिशत अर्थात 890.1 करोड रुपए हैं। आदिवासियों को आवश्यक उपभोग की वस्तुएं दूरदराज के क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने के लिए जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अपनी दुकान प्रारंभ की गई। 1960 में जयपुर में समस्त सहकारी संस्थाओं के मुद्रण कार्य हेतु राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसे सरकार ने राज्य केंद्रीय मुद्रणालय के समान दर्जा दिया है। आज इस मुद्रणालय ने सिक्योरिटी प्रेस के रूप में राज्य में अपनी पहचान बना ली है।

❑❑❑